Dainik Jagran-New Delhi- 21-04-2011

सखती : विश्वविद्यालय नियमों के आधार पर ही कॉलेज देंगे दाखिला

कटऑफ के बाद विषय में मनमानी नहीं

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : डीयू में दाखिला प्रक्रिया में कॉलेजों को विवि नियमों का पालन करना पड़ेगा। दाखिला व कट ऑफ के नियमों में कोई कॉलेज कोर्स के अनुरूप बदलाव चाहता है तो उसकी जानकारी नौ मई तक डीन स्टूडेंट वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) को देनी होगी।

डीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. जेएम खुराना ने कहा कि कई बार कॉलेज कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद विषयों को लेकर मनमानी करते हैं। जैसे, किसी कोर्स में चार विषयों को लेकर कॉलेज ने कट ऑफ लिस्ट जारी की। जब छात्र दाखिला लेने पहुंचा तो कॉलेज प्रशासन छात्र को अन्य विषय गिनाने लगे। ऐसा करना गलत है। कट ऑफ लिस्ट जारी करते समय जिन विषयों को आधार बनाया जाएगा, उन्हें ही गिना जाएगा। कॉलेजों से कट ऑफ लिस्ट तय करने के नियमों और दाखिला प्रक्रिया की पूरी जानकारी मांगी गई है। सभी कॉलेज 'अतिरिक्त योग्यता मापदंड' जैसे अतिरिक्त विषय, अंक प्रतिशत में कटौती, अन्य कोर्सों में छूट आदि का समुचित विवरण देंगे। उस विवरण को बुलेटिन में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे बुलेटिन और कॉलेज कोर्सों के दाखिला मापदंडों में विरोधाभास न हो सके। कॉलेजों को सभी सूचनाएं नौ मई तक देने को कहा गया है।। उन्होंने बताया कि विवरणिका मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। वहीं इस बार डीयू प्रशासन ने दाखिला प्रक्रिया के दौरान कॉलेज की मोनिटरिंग के लिए 'विशेष दाखिला सहायता' टीमें भी बनाई हैं। ये टीमें छात्रों की मदद के लिए तत्पर रहेंगी।

दाखिले की दौड़

- कोर्स के अनुरूप बदलाव करने वाले कॉलेजों से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगी जानकारी

आइपीयू ने बढ़ाई आवेदन की तिथि

नई दिल्ली, जासं : गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) ने मेडिकल कोर्सों को छोड़कर विभिन्न कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल से बढ़ाकर पांच मई कर दी है। आइपीयू के कुलपति प्रो. डीके बंधोपाध्याय ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल दाखिला प्रक्रिया 15 दिन देरी से शुरू हुई। इसका कारण नए कैंपस में विवि के कार्यालय का स्थानांतरण और प्रोस्पेक्ट्स का समय पर न छप पाना था। लेकिन प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।